

संतकबीरनगर पुलिस



जनपद - संतकबीरनगर

प्रेस विज्ञप्ति

दिनॉक 28.09.2022

आज दिनांक 28.09.2022 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर श्री अखिल कुमार पुलिस उपमहानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती श्री आर0के0 भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1- कृष्ण कुमार पुत्र बृजलाल निवासी वार्ड नं0 09 गांधीनगर करबा हरिहरपुर थाना महुली, 2- रामदीन पुत्र शिवपूजन निवासी खमोखर थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को क्रमशः 05-05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर क्रमशः मु0अ0सं0 387 / 2022 व 389 / 2022 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0कां0 भानूप्रकाश यादव, कां0 रविकांत यादव, कां0 राहुल यादव, कां0 सलमान अंसारी, कां0 अश्वनी यादव, कां0 निर्भय शाह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

• थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।









संतकबीरनगर पुलिस



पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3301 द्वारा घर से गायब व्यक्ति को स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से तलाश कर परिजनों को किया गया सुपुर्द— पीआरवी 3301 को थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत बयारा से इवेन्ट संख्या 00368 से कालर अपने बड़े भाई के गायब होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से गायब व्यक्ति को तलाश कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर गायब हुए व्यक्ति को तलाश कर परिजनों को सुपुर्द कर उसके साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित होने से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई। पीआरवी स्टाफ —आ0 जनार्दन प्रसाद, हो0चा0 महेश्वर शुक्ल।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 95 वाहनो से 96,500 रु0 सम्मन वसूल किया

आज दिनांक 28.09.2022 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 95 वाहनों से 96,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल वाहन किया गया।





